निष्क्रिय इच्छामृत्यु

प्रिलिम्स के लिये:

निष्क्रिय इच्छामृत्यु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड, अनुच्छेद 21, लिविंग विल।

मेन्स के लिये:

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव, भारत में इच्छामृत्यु।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपने कोमाटोज (गंभीर रूप से अचेत) पुत्र, जो गिरने के कारण 11 वर्षों से बिस्तर पर है, के लिये **"निष्क्रिय इच्छामृत्यु"** (Passive Euthanasia) की मांग की थी।

- इस निर्णय ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी और नैतिक आयामों पर चर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने रोगी के माता-पिता की याचिका के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए कहा कि यह मामला निष्क्रिय इच्छामृत्यु **के दायरे में नहीं आता** क्योंकि मरीज **किसी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं है** और उसे **फीडिंग ट्यूब के जरिये पोषण प्राप्त हो रहा है।**
- न्यायालय ने कहा कि उसके जीवन को समाप्त करने की अनुमति देना **निष्क्रिय इच्छामृत्यु नहीं** बल्कि **सक्रिय इच्छामृत्यु होगी जो भारत में अवैध है।**

निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) क्या है?

- **इच्छामृत्यु :**
  - **इच्छामृत्यु,** रोगी की पीड़ा को सीमित करने के लिये उसके जीवन को समाप्त करने की प्रथा है।
- **इच्छामृत्यु के प्रकार:**
  - **सक्रिय इच्छामृत्यु (Active euthanasia):**
    - सक्रिय इच्छामृत्यु तब होती है जब **चिकित्सा पेशेवर या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कुछ करता है** जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, जैसे **घातक इंजेक्शन** देना।
  - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):**
    - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है,** जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थक उपकरणों को बंद कर देना या वापस लेना है।
- **भारत में इच्छामृत्यु:**
  - **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) में एक ऐतिहासिक निर्णय में एक व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है और **चिकित्सा उपचार से इनकार हेतु** लिविंग विल निष्पादित कर सकता है।
    - इसने असाध्य रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई **'लिविंग विल'** के लिये भी दिशा-निर्देश निर्धारित किये, जिन्हें पहले से ही पता होता है कि उनके स्थायी रूप से निश्चित अवस्था में चले जाने की संभावना है।
    - इससे पहले वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने **अरुणा शानबाग** मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी थी।
  - न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि **"मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।** किसी व्यक्ति को जीवन के अंत में गरिमा से वंचित करना व्यक्ति को एक सार्थक अस्तित्व से वंचित करना है।"

- **इच्छामृत्यु वाले वभिन्नि देश:**
  - **नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जयिम** कसिी भी ऐसे व्यक्ति, जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करता है और जसिके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, को इच्छामृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं।
  - **स्वटि्ज़रलैंड** में इच्छामृत्यु प्रतबिंधति है लेकनि कसिी डॉक्टर या चकित्सिीय पेशेवर की उपस्थिति तथा सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति है।
    - वर्ष 1942 से, स्वटि्ज़रलैंड ने सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति दी है, जसिमें व्यक्तगित पसंद और मरने की प्रक्रयिा पर नयिंत्रण पर ध्यान केंद्रति कयिा गया है। कानून के अनुसार व्यक्तयिों का मस्तष्कि स्वस्थ होना चाहयि और उनका नरि्णय स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरति नहीं होना चाहयि।
  - **ऑस्ट्रेलयिा** ने भी दोनों प्रकार की इच्छामृत्यु को वैध कर दयिा है। यह उन वयस्कों पर लागू होता है जनिमें पूर्ण नरि्णय लेने की क्षमता है तथा वे ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं जनिकी छह या बारह महीनों के भीतर मृत्यु होने की संभावना है।
  - **नीदरलैंड** में इच्छामृत्यु के लयि एक सुस्थापति वधिकि ढाँचा है, जसि वर्ष 2001 के **"अनुरोध पर जीवन की समाप्ति और सहायता प्राप्त आत्महत्या (समीक्षा प्रक्रयिा) अधनियिम"** द्वारा वनियिमति कयिा जाता है।

नष्कि्रयि इच्छामृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दशिानरि्देशों में हाल ही में क्या परवरि्तन कयि गए?

- वर्ष 2023 में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने **2018 के इच्छामृत्यु दशिानरि्देशों को संशोधति कर दयिा,** ताकि गंभीर रूप से बीमार रोगयिों के लयि नष्कि्रयि इच्छामृत्यु प्रदान करने की प्रक्रयिा को आसान बनाया जा सके।
  - वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने **सम्मान के साथ मृत्यु के अधकिार को मौलकि अधकिार के रूप में मान्यता दी** तथा इस अधकिार को लागू करने के लयि **असाध्य रूप से बीमार रोगयिों के लयि दशिानरि्देश नरि्धारति कयि।**
- **सर्वोच्च न्यायालय के दशिा-नरि्देशों में संशोधन:**
  - **लविगि वलि का सत्यापन**: न्यायालय ने लविगि वलि (एक दस्तावेज़ जसिमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भवषि्य में गंभीर बीमारी की हालत में कसि तरह का इलाज कराना चाहता है) पर न्यायकि मजस्टि्रेट के सत्यापन की आवश्यकता को हटा दयिा है। अब, नोटरी या राजपत्रति अधकिारी द्वारा सत्यापन ही पर्याप्त है, जसिसे व्यक्तयिों के लयि अपने जीवन को समाप्त करने के वकिल्प को व्यक्त करने की प्रक्रयिा सरल हो गई है।
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य डजिटिल रकिॉर्ड के साथ एकीकरण:** पहले, लविगि वलि को ज़लिा न्यायालय द्वारा रखा जाता था। संशोधति दशिा-नरि्देशों में यह अनविार्य कयिा गया है कि यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय डजिटिल स्वास्थ्य रकिॉर्ड का हस्सिा हों। इससे देश भर के अस्पतालों और डॉक्टरों के लयि सरल पहुँच सुनश्चिति होती है, जसिसे समय पर नरि्णय लेने में सुवधिा होती है।
  - **इच्छामृत्यु से इनकार के लयि अपील प्रक्रयिा:** यदि किसी अस्पताल का मेडकिल बोर्ड जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो रोगी/मरीज़ का परवािर संबंधति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके बाद न्यायालय मामले का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु एक नया मेडकिल बोर्ड गठति करेगा, ताकि मामले की गहन और न्यायपूर्ण समीक्षा सुनश्चिति की जा सके।

//

THE CHANGES BROUGHT

	NOW	EARLIER
Living will	An attestation by a notary or a Gazetted officer to be sufficient for a living will	It was necessary that a judicial magistrate attest or countersign a living will
Access to the living will	Living will a part of national health record which can be accessed by Indian hospitals	Living will was kept in the custody of the district court concerned
Primary board to examine patient's condition	Three doctors, including treating physician and two other doctors with five years of experience in the specialty, will comprise the primary board of doctors	Primary board of doctors needs at least four experts from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry or oncology with overall standing of at least 20 years
Time taken to decide	Primary/secondary board to decide within 48 hours on withdrawal of further treatment	The 2018 judgment did not specify any outer limit on withdrawal of treatment
Secondary board	Hospital must immediately constitute a secondary board of medical experts	The district collector had to constitute the second board of medical experts

इच्छामृत्यु से जुड़े नैतिक पहलू क्या हैं?

- **स्वायत्तता और सूचित सहमति:** इच्छामृत्यु में व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करना शामिल है, जिसका अर्थ है कि लोगों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिये, विशेष रूप से यदि वे मानसिक रूप से सक्षम हैं तो पीड़ा को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिये।
    - इसके लिये सूचित सहमति की भी आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति, इच्छामृत्यु की प्रक्रिया और इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर दबाव नहीं डाला जा रहा है या उसके साथ किसी भी प्रकार का छल-कपट नहीं किया जा रहा है।
- **जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की शुचिता:** इच्छामृत्यु पर विमर्श प्रायः जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की शुचिता पर केंद्रित होता है। **जीवन की गुणवत्ता** में यह तर्क दिया जाता है कि पीड़ा को समाप्त करना और गंभीर बीमारी के दौरान अपनी गरिमा को संरक्षित करना नैतिक हो सकता है जबकि **जीवन की शुचिता या पवित्रता** अक्सर धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं को दर्शाती है जिसके तहत यह माना जाता है कि जीवन आंतरिक रूप से मूल्यवान है और इसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।
- **विधिक और सामाजिक निहितार्थ:** इच्छामृत्यु से संबंधित विधिक रूपरेखा क्षेत्राधिकार के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है, जो जीवन के अंत से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और नैतिक विमर्शों को दर्शाती है।
    - इसके सामाजिक प्रभाव में चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा इच्छामृत्यु की मांग के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिये उपशामक देखभाल तथा मनोवैज्ञानिक सहायता तक समान पहुँच की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

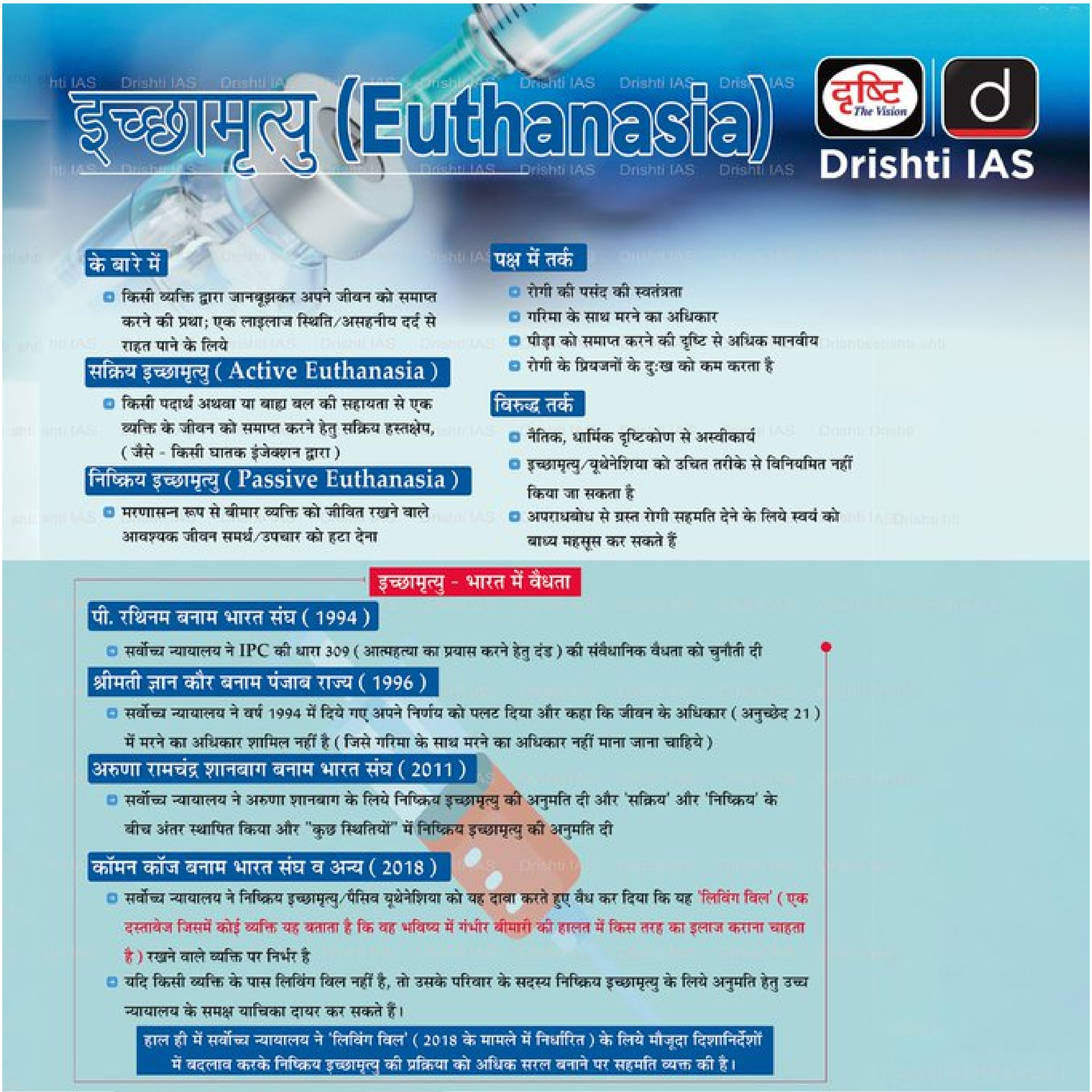

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

सक्रिय इच्छामृत्यु क्या है? इस प्रथा के नैतिक निहितार्थ क्या हैं?

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/passive-euthanasia-3